

राजस्थान सरकार  
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक :- एफ 1(1) परि/स्था/स.वा.चा./2015/5057

जयपुर, दिनांक :- 18-3-2024

कार्यालय आदेश

परिवहन विभाग (मुख्यालय, अधीनस्थ प्रादेशिक एवं जिला/उप परिवहन कार्यालयों) को प्रवर्तन एवं सामान्य कार्यों के संचालन हेतु कॉलम संख्या 6 में वर्णित संख्या तक वाहन चालक की सेवाएं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 164 'ए' एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 की शर्तों के अध्वधीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की, सेवानिवृत्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने पर REXCo के माध्यम से अथवा REXCo के माध्यम से वाहन चालक उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में REXCo से NOC प्राप्त करने के उपरान्त होमगार्ड के माध्यम से (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन (REXCo) के माध्यम से) निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये संविदा के आधार पर दिनांक 01.03.2024 से दिनांक 28.02.2025 तक लेने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	जिलेवार स्वीकृत/ उपलब्ध वाहनों की संख्या	कार्यरत सरकारी वाहन	उपलब्ध सरकारी/ प्रतिनियुक्ति वाहन चालक	संविदा पर सेवाएं लिए जाने हेतु वाहन चालक
1	2	3	4	5	6
1.	प्रा.प.का. जयपुर प्रथम	21	21	1	20
2.	जि.प.का. दूहू (जयपुर)	4	4	0	4
3.	उ.प.का. चाकसू (जयपुर)	1	1	0	1
4.	प्रा.प.का. जयपुर द्वितीय	13	13	0	13
5.	जि.प.का. कोटपुतली	4	4	0	4
6.	जि.प.का. शाहपुरा (जयपुर)	4	4	1	3
7.	जि.प.का., चौमूं	4	2	1	1
8.	प्रा.प.का. दौसा	8	8	1	7
9.	जि.प.का. सवाई माधोपुर	3	2	0	2
10.	जि.प.का. करौली	4	4	0	4
11.	उप परिवहन कार्यालय लालसोट	0	0	0	1
12.	प्रा.प.का. सीकर	10	9	0	9
13.	जि.प.का. झुन्झुनू	6	4	2	2
14.	जि.प.का. चूरू	4	4	0	4

15.	जि.प.का., सुजानगढ़	4	4	0	4
16.	जि.प.का., खेतड़ी	2	2	0	2
17.	उप परिवहन कार्यालय, सरदारशहर	0	0	0	1
18.	प्रा.प.का. अलवर	11	11	1	10
19.	जि.प.का. भिवाड़ी	4	3	0	3
20.	प्रा.प.का. भरतपुर	9	9	0	09
21.	जि.प.का. धौलपुर	6	4	1	3
22.	प्रा.प.का. अजमेर	10	8	1	7
23.	जि.प.का. केकड़ी (अजमेर)	4	2	0	2
24.	जि.प.का. ब्यावर	3	3	1	2
25.	जि.प.का. किशनगढ़	4	4	1	3
26.	जि.प.का. नागौर	4	3	0	3
27.	जि.प.का. डीडवाना	4	4	0	4
28.	जि.प.का. टोंक	3	3	0	3
29.	प्रा.प.का. जोधपुर	12	12	0	12
	प्रवर्तन विंग, जोधपुर	1	1	0	1
30.	जि.प.का. फलौदी	3	2	0	2
31.	जि.प.का. बाड़मेर	3	2	0	2
32.	जि.प.का. बालोतरा	3	3	1	2
33.	जि.प.का. जैसलमेर	2	2	0	2
34.	जि.प.का. पोकरण	1	1	0	1
35.	जि.प.का. पीपाड सिटी	1	1	0	1
36.	प्रा.प.का. पाली	8	8	0	8
37.	जि.प.का. सिरोही	5	5	1	4
38.	जि.प.का. आबूरोड़	4	4	0	4
39.	जि.प.का. जालौर	3	2	0	2
40.	जि.प.का. भीनमाल (जालौर)	4	4	0	4
41.	जि.प.का. सुमेरपुर	1	1	0	1
42.	प्रा.प.का. उदयपुर	12	12	1	11
43.	जि.प.का. राजसमंद	4	3	0	3


44.	जि.प.का. डूंगरपुर	3	2	0	2
45.	जि.प.का. बांसवाडा	3	2	0	2
46.	जि.प.का. सलूमबर	3	3	0	3
47.	प्रा.प.का. चित्तौडगढ़	11	11	0	11
48.	जि.प.का. भीलवाडा	6	5	0	5
49.	जि.प.का. शाहपुरा (भीलवाडा)	4	3	0	3
50.	जि.प.का. प्रतापगढ़	2	2	0	2
51.	उ.प.का.रावतभाटा (चित्तौडगढ़)	1	1	0	1
52.	उ.प.का.बेगू (चित्तौडगढ़)	1	1	0	1
53.	प्रा.प.का. कोटा	9	9	0	9
54.	जि.प.का. रामगंजमण्डी	2	2	0	2
55.	जि.प.का. बून्दी	3	3	0	3
56.	जि.प.का. बारा	3	2	0	2
57.	जि.प.का. झालावाड	4	3	0	3
58.	प्रा.प.का. बीकानेर	8	8	1	7
59.	जि.प.का. नौखा (बीकानेर)	4	2	0	2
60.	जि.प.का. श्रीगंगानगर	7	7	0	7
61.	जि.प.का. हनुमानगढ़	4	3	0	3
62.	जि.प.का. नोहर (हनुमानगढ़)	4	4	0	4
63.	जि.प.का. सादुलशहर	1	1	0	1
64.	उ.प.का. जैतारण (पाली)	0	0	0	0
65.	उ.प.का.कुचामन सिटी (नागौर)	1	1	0	1
66.	उ.प.का. कामा (भरतपुर)	1	1	0	1
67.	उ.प.का. खाजूवाला (बीकानेर)	0	0	0	0
68.	मुख्यालय	28	22	4	18
	योग	334	301	19	284

उपरोक्तानुसार वाहन चालक रखे जाने के लिये निम्नांकित निर्देश भी दिये जाते हैं :-

1. राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन (RExCo) के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को ही संविदा वाहन चालक के रूप में लगाया जाए एवं उनका सेवा क्रमांक (Army Service No., Airforce Service No., Navy Service No.) सेवा रिकॉर्ड, परिचय पत्र आदि का समुचित रिकार्ड रखा जाये।
2. उक्तानुसार रखे गये वाहन चालक को 6 माह की अवधि से ज्यादा यदि रखा जाए तो उसके कार्य-व्यवहार एवं आचरण के संबंध में संबंधित अधिकारी का पूर्ण संतुष्टि करने का दायित्व होगा।

3. वाहन चालक उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी का होगा तथा वे समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
4. पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नियत दरों पर किया जाना सुनिश्चित करें तथा इन शर्तों की पालना करते समय यह सुनिश्चित करें कि विभाग पर किसी प्रकार का स्थायी दायित्व नहीं बने तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो।
5. प्रादेशिक/जिला/उप जिला परिवहन कार्यालय को आवंटित वाहन चालक की संविदा सेवाओं पर व्यय आयोजना भिन्न मद के लेखाशीर्ष 2041-00-101-(01)-[00]-41 में उपलब्ध प्रावधान से भारित होगा।
6. प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय/प्रवर्तन शाखा को उड़नदस्ते हेतु आवंटित वाहन चालक की संविदा सेवाओं पर व्यय आयोजना भिन्न मद के लेखाशीर्ष 2041-00-102-(02)-[00]-41 में उपलब्ध प्रावधान से भारित होगा।

उक्त आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. क्रमांक 102400291 दिनांक 27.02.2024 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।


  
(गोपाल सिंह)  
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

क्रमांक :- एफ 1 (1) परि/स्था/स.वा.चा./2015 / 5058-5066 जयपुर, दिनांक :-

18-8-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, होमगार्ड, नियर सिटी पैलेस, जलैबी चौक, जयपुर 302002(ई-मेल cd.hghq.rj@nic.in)
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को बजट आवंटन हेतु।
6. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी स्वीकृत संख्या तक आवश्यकतानुसार वाहन चालक RExCo के माध्यम से लें तथा कॉलम संख्या 4, 5 व 6 में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर इस कार्यालय को तुरंत सूचित करें, ताकि तदनुसार संशोधन किया जा सके।
7. लेखा एवं भुगतान/प्रवर्तन/स्थापना शाखा, मुख्यालय जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूम न. 7222, फूड बिल्डिंग, द्वितीय तल, शासन सचिवालय, जयपुर/पी.8, सांझी छत, सेक्टर-2, विधाधर नगर, जयपुर-302039 को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार संबंधित कार्यालयों को संविदा आधार पर वाहन चालक उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
9. रक्षित पत्रावली।

  
उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.)